

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)
पीठासीन अधिकारी श्री विश्वामित्र भीना आ०ए०एस०

फरमा संख्या 264/16
थर दिनांक 08.09.2016

निर्णय दिनांक
08.12.2017

उनवान

1. सुनिल लोहिया पुत्र विजयपाल लोहिया जाति गूर्जर निवासी आशियाना विपेज ई. 28, भिवाडी तहसील तिजारा जिला-अलवर (राजस्थान)

--वादीगण


बनाम

1. छोटा देवी पत्नि तेजसिंह जाति गूर्जर निवासी आसलवास तहसील बावल जिला रेवाड़ी (हरियाणा)
2. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी अधिकारी (लैण्ड होल्डर) तहसीलदार कोटकासिम जिला-अलवर (राज०)

दावा इश्तकारर हक गय दुररुती इन्द्राज
अंतर्गत धारा 88,89 राज.टी.ऐ. 1955

अतः वादी का बाद मुताबिक विभाजन प्रस्ताव इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि आराजी ख०न० 233/1 रकबा 0.64 हैक्टरर वाकै ग्राम गूर्जरीवास तहसील कोटकासिम में सुनिल कुमार पुत्र विजय कुमार लोहिया जाति गूर्जर निवासी ई. 28 आशियाना विलेज भिवाडी तहसील तिजारा जिला-अलवर (राज०) खातेदार रहेगी। इसी प्रकार आराजी ख०न० 233/2 रकबा 0.63 हैक्टरर वाकै ग्राम गूर्जरीवास तहसील कोटकासिम जिला-अलवर, छोटा देवी पत्नि तेजसिंह जाति गूर्जर निवासी आसलवास तहसील बावल जिला-रेवाड़ी (हरियाणा) खातेदार रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरमद हो।

निर्णय आज दिनांक 08.12.2017 को टंकित किया जाकर सारेइजलास सुनाया गया ।


उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम(अलवर)राज०
उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

संक्रो (खो)

5/11

पत्राची तहसीलदार कोटकासिम के मुहिण्डा पर पीत्रा डिक्री (आदेश) दिनांक 6.12.17 में संख्या 264/16 वादी का नाम सुनील कुमार पुत्र विजय कुमार लोहिया ई. 28 आशियाना विलेज भिवाडी तहसील तिजारा जिला-अलवर (राज०) खातेदार रहेगी। इसी प्रकार आराजी ख०न० 233/2 रकबा 0.63 हैक्टरर वाकै ग्राम गूर्जरीवास तहसील कोटकासिम जिला-अलवर, छोटा देवी पत्नि तेजसिंह जाति गूर्जर निवासी आसलवास तहसील बावल जिला-रेवाड़ी (हरियाणा) खातेदार रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरमद हो।

न्यायालय अथवा अन्य आधिकारिक नोटरीयल जिला अलवर (राज.)

दीर्घादीन आदीकारी - श्री विद्यादेव मीना R.A.S.

क्र. सं.

264/16

दण्डादेशिका

8.9.2016

निर्णय दिनांक

06/12/2017

उपरोक्त

[1] सुनील मोहिया पुत्र विजयपाल मोहिया जाति गुरजर निवासी
आसियाणा विलेज ई. 28, त्रिवेणी तहसील तिमारा जिला अलवर (राज.)
- वारी

वाम

[1] द्योत देवी पति तेजासेह जाति गुरजर निवासी आसियाणा तहसील
वावल जिला रेवाड़ी (राज.)

[2] राज. सस्कार जाति सुधीचारी आधिकारी (नॉड ऑफिसर) तहसील
कोटवाली जिला अलवर (राज.)

- प्रतिवादी

दावा (कासमा आराजी अथवा सुमनमोहियाजी
अं. सं. 53, 188 राज. टी. सेक्ट 1955.

आदेश :-

[1] श्री अजय सिंह चौधरी, अभियन्ता, वारी

[2] " विकास राव, अभियन्ता, प्रतिवादी सं. 1

वारी ने एक बार न्यायालय में आदेश होकर अथवा अभियन्ता
अथवा आराजी के विवाह के विवाह आराजी सं. 233/1-2700
के अन्तर्गत वारी का सुगरीवास तहसील कोटवाली में निज वारी व
प्रतिवादी सं. 1 को समजाते स्वातेदारी करवा का कर वी आराजी है।
जिसका राजस्व रिपोर्ट में अमल दरमद है। विवाह आराजी में निज
वारी का 1/2 भाग है जिस पर निज वारी, प्रतिवादी सं. 1 को एक
समजात में का विज व दासिन होकर का कर करवा तथा आ वारी
अथवा आराजी है पत्रकारान के अथवा आज तक विवाह आराजी
वावल जिला की प्रकार का (कासमा) नहीं हुआ है।
प्रतिवादी सं. 1 आरे जो निज वारी के समजाती हिस्से के करवा
का कर में अजाहद व अजाहदत में वारी वारी है व विवाह

लगातार -

उपरोक्त अधिकारी
कोटवाली (अलवर)

[3]

इसी प्रकार आराजी ख. नं. $\frac{233}{2}$ एका 0.63 हेक्टर
वाले आठ अजमीनवाले तहसीलकोरवाली जिला अन्तर्गत, कोटादेवी
पाल्के तेजासेह गाठि युजर् निवाली आसलवास तहसील थामल
जिला देवाडी (धने.) स्थान पर रहेगी। इसी अनुसार राजस्व
हिस्सा में अमल करार छै। तदनुसार पर्या डिक्री जारी छै।

निर्णय आज दिनांक 06/12/2017 को मेरे द्वारा निम्नलिखित
जाकार सबे इजारासु सुनाया गया। Om

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अमल)

संशोधन

5 $\frac{2}{18}$

तहसीलकोरवाली के पुराने आठ पर्येक
इस ग्याथागाय के आदेश दिनांक 6.12.17
में प्राची (वही का नाम) सहज से सुनील
कुमार पुत्र विजय कुमार कोहिया निम्नलिखित
उक्त स्थान पर सुनील कोहिया पुत्र विजय
कोहिया द्वारा कोरवा गया। Om